ज्ञान तत्व कमांक–381

बजरंग मुनि समाजिक शोध संस्थान

लेखक नवीन कुमार शर्मा, कुलसचिव

प्राचीन समय में भारत में विचार मंथन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। विपरीत विचारों के लोग एक–साथ बैठकर निष्कर्ष निकालते थे और ऐसे निष्कर्ष समाज को दिये जाते थे। भारत पूरे विश्व को विचारों का निर्यात करता था। बीच के कालखण्ड में भारत में विचार–मंथन बन्द हो गया। भारत दुनियाँ से विचारों का आयात करने लगा। यहॉ तक कि भारत की सारी राजनैतिक व्यवस्था के लिए जो संविधान बनाया गया वह भी पूरी तरह विदेशों की नकल मात्र है। उसमें भारतीय मौलिक चिंतन लगभग शून्य है। स्वतंत्रता के बाद भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी भारत वैचारिक धरातल पर विदेशों की नकल मात्र पर निर्भर है। बजरंग मुनि जी ने बचपन से ही इस कठिनाई को समझा तथा इसके समाधान की दिशा में सक्रिय रहे। अब उनकी उम्र के आधार पर उनके चिंतन को आधार बनाकर इस मंथन प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने का प्रयास ही ''बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान'' का प्रमुख लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य है।

बजरंग मुनि जी की जन्म तिथि 01 जनवरी 1939 मानी जाती है। उनका जन्म छत्तीसगढ के शहर रामानुजगंज के अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि तथा संघर्ष शील रहे हैं। लीक छोडकर नई राह बनाने का प्रयत्न किया। चौदह वर्ष की उम्र में ही छुआछूत को असामाजिक कार्य मानकर उसे तोडने के प्रयत्न के कारण स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें अनुशासित करना चाहा तो उन्होंने विद्रोह करके इसाई बनना चाहा। आर्य समाज के लोगों ने उन्हें रोक कर पण्डित बजरंगलाल बना दिया। वे पूजा, पाठ, यज्ञ, विवाह तक कराने लगे। कुछ वर्ष बाद ही स्थानीय ब्राह्मणों से उनका समझौता हो गया तथा वे पुनः पण्डित से अग्रवाल लिखने लगे।

सत्रह वर्ष की उम्र में वे डॉ लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी विचारों में सक्रिय हुए। उनमें बचपन से ही पंडित नेहरू की कार्यप्रणाली से पूरी तरह असहमत रहे और वे धीरे–धीरे जनसंघ से जुड गए किन्तु उनकी सोच पर आर्य समाज तथा समाजवाद का मिला–जुला प्रभाव रहा। सन् पचहत्तर के आपातकाल में जयप्रकाश आंदोलन में सक्रियता के कारण वे अठारह माह तक जेल में बंद रहे। जेल से छूटने के बाद जनतापार्टी की सरकार बनी और वे सात वर्ष तक सरगुजा जिला जनतापार्टी के अध्यक्ष रहे। पच्चीस दिसम्बर चौरासी को उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया और पहाड की तलहटी में रहकर सामाजिक समस्या अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ किया। इस केन्द्र के माध्यम से उन्होंने भारत की वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था की असफलता पर विस्तृत शोध किये। पद्रंह वर्ष तक शोध करने के बाद उन्होंने कुछ संवैधानिक परिणाम निकालकर संवैधानिक शोध बंद कर दिया और रामानुजगंज शहर के नगरपालिका अध्यक्ष बनकर उन सुधारों का सफल प्रयोग किया। पांच वर्ष की सफलता से उत्साहित मुनि जी ने दिल्ली में रहकर इन संवैधानिक बदलावों के संबंध में देश के प्रमुख लोगों को बताने का प्रयास किया किंतु किसी एक भी प्रमुख व्यक्ति को सहमत नहीं कर सके। रामानुजगंज के छोटे से शहर के लोग मुनि जी की बात जल्दी समझते तो नहीं थे किंतु मान लेते थे। दिल्ली के विद्वान बात को बहुत जल्दी समझ जाते थे किंतु मानते नहीं थे। रामानुजगंज क्षेत्र के लोग भावना प्रधान अधिक थे बुद्धि प्रधान कम। दिल्ली के प्रमुख लोग बुद्धि प्रधान अधिक थे भावना प्रधान कम। रामानुजगंज के जंगलों में बैठकर मुनि जी निरंतर नए–नए शोध और निष्कर्ष निकालते थे। दिल्ली आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और चिंतन मंथन बंद हो गया। उन्होंने गलती मानकर पुनः रामानुजगंज लौटना ही ठीक समझा।

मुनि जी का पारिवारिक जीवन भी सफल रहा है। उन्होंने लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था के आधार पर अपना परिवार चलाकर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने परिवार के प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में बराबर के अधिकार दिए। उनकी पारिवारिक व्यवस्था में किसी भी सदस्य को कभी भी परिवार से अलग किया जा सकता है या कोई भी सदस्य कभी भी परिवार छोड़ सकता है। परिवार छोड़ते समय सम्पत्ति में उसका बराबर का हिस्सा मिल जाता है। परिवार में महिला–पुरूष, बालक–वृद्ध का कोई वैधानिक भेद नहीं है। सबके अधिकार बराबर हैं। परिवार का मुखिया भी मतदान से तय होता है। सारी आदर्श परिवार व्यवस्था साठ वर्षो से सफलतापूर्वक चल रही है। यह व्यवस्था सरकारी आधार पर भी लिखित में है।

मुनि जी का सामाजिक जीवन भी ठीक–ठाक रहा है। धार्मिक आधार पर वे आर्य समाज से जुड़े होनें के आधार पर कट्टर हिंदू रहे हैं। राजनैतिक जीवन में वैचारिक धरातल पर समाजवादी तथा संगठनात्मक धरातल पर जनसंघ अर्थात भाजपा के साथ रहे। इनकी सामाजिक सोच बिल्कुल स्पष्ट रही है। रामानुजगंज में मुसलमानों की आबादी लगभग चौदह प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन, आदिवासी की आबादी करीब अस्सी प्रतिशत है। भाजपा से जुड़ी पृष्ठभूमि1 के कारण मुसलमान इन्हें वोट कभी नहीं देते थे किंतु वोट के अतिरिक्त हर मामले में वहॉ के मुसलमान पूरे दिल से साथ देते थे। मुनि जी ने जब भी अपराधियों के विरुद्ध कोई सक्रिय कदम उठाया तो सब लोग सारा भेदभाव भूलकर इनके साथ हो जाते थे। हिंदू–मुसलमान, आदिवासी, हरिजन, सवर्ण, कांग्रेस, जनसंघ कर्मचारी, व्यापारी या गरीब–अमीर सभी भेदभाव भूलकर पूरा शहर तथा आसपास के गांव एकजुट हो जाते थे। सारा अभियान अहिंसक होता था। सन् बान्नवें के आसपास सर्वोदय के प्रमुख लोगों को उनके कृत्य एवं कार्यप्रणाली का पता चला और उनसे चर्चा के बाद मुनि जी यह समझ गए कि वे लोकस्वराज्य का जैसा प्रयोग कर रहे हैं वह कोई नया प्रयोग नहीं है बल्कि पूरी तरह गांधी विचारों के अनुकूल है। मुनि जी गांधी और गांधीवाद से बहुत प्रभावित हुए और आज तक हैं।

मुनि जी सन् चौरासी से ही भारतीय संविधान पर व्यापक चर्चा करते रहें। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए ईमानदार से प्रयास किये। मुनि जी राजनैतिक सत्ता में परिवारवाद के पूरी तरह विरोधी रहे हैं। परिणाम यह रहा कि उस क्षेत्र की दोनों विधानसभाओं से कांग्रेस प्रत्याशी हारते रहे। यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सहन नहीं होती थी। क्योंकि रामानुजगंज के कर्मचारी, मुसलमान, आदिवासी, हरिजन आदि सब मिलकर चुनाव के अतिरिक्त हर मामले में पूरी तरह एकजुट रहते थे यह बात भी तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के ऑखों में किरकरी बनी हुई थी। परिणामस्वरूप इक्कीस दिसंबर पचान्नवे को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे शहर पर प्रशासनिक आक्रमण कर दिया। कई व्यापारियों को ई.सी. एक्ट में गिरफ्तार किया गया। सभी बड़े सरकारी कर्मचारी एकाएक बदल दिए गए। मुनि जी की पूरी संपत्ति तथा आश्रम पर पहरा बिठा दिया गया। सारी प्रशासनिक व्यवस्था कलेक्टर के मौखिक आदेश से चलने लगी। मुनि जी को नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। सर्वोदय का एक प्रमुख समूह ठाकुरदास जी बंग, सिद्धराज जी, अमरनाथ भाई आदि मुनि जी को गांधीवादी अहिंसक मानकर इनकी सहायता कर रहा था तो कुमार प्रशांत, ब्रह्मदेव शर्मा, रामचंद्र राही जी का दूसरा गुट मुनि जी को भाजपाई मानकर पूरी तरह विरोध में था। मुनी जी जबलपुर उच्च न्यायालय में न्यायार्थ गए। सरकार का कहना था कि मुनि जी नक्सलवादी हैं और रामानुजगंज के आसपास समानान्तर सरकार चला रहे हैं। मुनि जी का तर्क था कि जब तक हम कोई कानून नहीं तोड़ते तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम कानून के अंतर्गत समानान्तर सरकार चला सकते हैं। हम नए संविधान का प्रारूप बना सकते हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि इतनी गंभीर लड़ाई में भी रामानुजगंज तथा आसपास के लोग सारे राजनैतिक, धार्मिक, जातीय, आर्थिक भेदभाव को भूलकर मुनि जी के साथ एकजुट रहे थे।

लगभग पांच वर्ष बाद सन् दो हजार में रामानुजगंज के आसपास बिहार की ओर से नक्सलवाद का प्रवेश हुआ। नक्सलवाद इस क्षेत्र के बहुत बड़े भाग में फैल गया और समानान्तर सरकार बनने लगी। नक्सलवादी भी मुनि जी का समर्थन चाहते थे तथा सरकार भी। मुनि जी ने नक्सलवादियों के समक्ष दो टूक प्रस्ताव रखा कि यदि वे बंदूक–पिस्तौल छोड़कर अपनी सरकार बनाते हैं तो उनका समर्थन और सहयोग होगा अन्यथा वे किसी भी हिंसक प्रयास के विरुद्ध सरकार का साथ देंगें। लंबे विमर्श के बाद नक्सलवादियों ने अहिंसा को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप जन–समर्थन के सहयोग से उस क्षेत्र से सरकार ने नक्सलवाद का सफाया दो वर्ष में ही कर दिया। रामानुजगंज क्षेत्र भारत का अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत तेज गति से नक्सलवाद आया, छाया और हारकर चला गया।

सामाजिक क्षेत्र में भी मुनि जी बचपन से ही सक्रिय रहे। वे हर प्रकार की छुआछूत के विरोधी रहे। सामाजिक मामलों में वे हिंदू–मुसलमान एकता के पक्षधर रहे। मुनि जी के मार्गदर्शन में रामानुजगंज में नियम बना कि पूरे शहर की एक ही धर्मशाला होगी जिसके उपयोग में हिंदू–मुसलमान, अछूत, सर्वण का भेद नहीं रहेगा। मांस व शराब का प्रयोग वर्जित होगा। किसी एक धर्म का लड़का भिन्न धर्म की लड़की को पत्नी बनाता है तो लड़के का धर्म बदल जाएगा लड़की का नहीं। दो नंबर घोषित गैर कानूनी कार्यों को समाज नहीं रोकेगा। सिर्फ पांच प्रकार के तीन नम्बर घोषित अपराधों को रोकने में समाज स्वंय भी सक्रिय होगा तथा सरकार की भी सहायता करेगा। चौक चौराहों पर बडे–बडे बोर्ड लगे कि हम सब तीन नंबर के विरुद्ध हैं, दो नंबर के नहीं। चोरी, डकैती रोकने के उद्देश्य से नये नियम तथा नये तरीके खोजे गये। रामानुजगंज को अपराध नियंत्रित, साम्प्रदायिकता, जातीय टकराव मुक्त शहर घोषित किया गया। चोरी, डकैती, गुन्डागर्दी रोकने का दायित्व नगरपालिका ने उठाया। सन् दो हजार पांच तक एक भी ऐसी चोरी, डकैती नहीं हुई जिसमें अपराधी पकड़े न गये हों।

मुनि जी ने दिल्ली से लौटने के बाद सन् दो हजार दस से तेरह तक रामानुजगंज ब्लॉक के एक सौ तीस गांवों में ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। ग्राम सभाओं में गांव के लोग आवें और मिल बैठकर कानून सम्मत एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना के अनुसार सामने निर्णय करें यह समझाया गया। सभी गांवों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। निर्वाचित पंच–सरपंच का हस्तक्षेप कम होता गया। पारदर्शिता भी आई और भ्रष्टाचार भी घटा। सरकारी कर्मचारियों ने भी सहयोग किया। जब ग्राम पंचायत के चुनाव आये तो मुनि जी ने पूरी कोशिश की कि एक सौ तीस गांवों में से कम से कम पांच गांवों के लोग सर्व–सम्मत चुनाव कराकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें। दस गांवों के लोग पूरी तरह तैयार थे किंतु राजनैतिक दलों ने इस प्रयत्न को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने इन दस गांवों में पूरी ताकत लगाकर सर्वसम्मत उम्मीदवार के विरुद्ध अपने–अपने उम्मीदवार खड़े करा दिये। परिणामस्वरूप मुनि जी का प्रयत्न असफल हुआ और उन्होंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

मुनि जी आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य से इनके बहुत अच्छे संबंध रहे। दोनों भारत की प्रमुख समस्याओं पर मिल बैठकर योजना बनाते रहे। राज सिंह जी की प्रेरणा से मुनि जी ने सन् दो हजार सात में वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया था कि वह बजरंग लाल अग्रवाल से बजरंग मुनि कहे जाने लगे। दोनों ने मिलकर तय किया था कि सन् दो हजार सत्रह के आसपास दोनों मिलकर एक साथ सन्यास की सोचेंगें। राजसिंह जी अपनी पूरी व्यस्तता छोड़कर कई दिन रामानुजगंज में रहे भी, किंतु अकस्मात तीन वर्ष पूर्व राज सिंह आर्य जी का निधन हो गया और यह जोड़ी टूट गई।

मुनि जी धीरे–धीरे इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे कि भारतीय संविधान जब तक संसद की जेल से मुक्त नहीं होता हैं तब तक लोक स्वराज्य नहीं आ सकता है। उनके तर्क में दम था कि जब संविधान, संसद का मार्गदर्शन और नियंत्रण करता है तथा संसद के पास विधायी एवं कार्यपालिक दोनों अधिकार हैं तो वहीं संसद संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है। मुनि जी ने सुझाव दिया कि संविधान संशोधन के लिए संसद से भिन्न कोई व्यवस्था हो क्योंकि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार संसद के पास होना अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय तानाशाही के समान है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मुनि जी ने यह तर्क दिया कि भारत का लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र तो है किंतु लोक नियन्त्रित तन्त्र नहीं है जैसा स्वतन्त्रता

के पूर्व सोचा गया था। इस संबंध में मुनि जी तथा टीम अन्ना के बीच भी योजना बनी थी। मुनि जी की पूरी टीम ने अन्ना टीम की पूरी मदद भी की किंतु वह टीम बिखर गई। मुनि जी ने अरविंद जी को एक दो बार सहभागी लोकतंत्र का विषय याद भी दिलाया किंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। धीरे–धीरे कुछ साथियों ने मिलकर लोक संसद, ग्राम संसद, जन संसद आदि नामों से संविधान संशोधन में संसद के असीम अधिकारों को सीमित करने का जन–जागरण शुरू किया जो निरंतर जारी है।

मुनि जी की विजय कौशल महाराज तथा आचार्य पंकज पर लंबे समय से आस्था रही है। राज सिंह की मृत्यु के बाद यह आस्था और बढ़ी। जीवन के इस पडाव में उन्होंने यह महसूस किया कि वह तिरसठ वर्ष पूर्व जहां से जो वैचारिक यात्रा शुरू की गई थी वहीं लौटना सबसे ठीक निर्णय रहेगा क्योंकि मुनि जी संग्रह, कूटनीति और संगठन क्षमता में बहुत कमजोर तथा त्याग, व्यावहारिक सत्य और संस्थागत प्रवृत्ति में बहुत सक्षम रहे हैं। उन्होंने जहॉ तक स्वयं को विचार मंथन तक सीमित किया वहॉ तक वे सफल रहे किन्तु जब भी उन्होंने आगे आकर किसी कार्य का नेतृत्व किया उसमें वे असफल रहे क्योंकि उनमें राजनैतिक कुशलता का अभाव रहा। इसलिए मुनि जी ने दूसरी बार राजनैतिक सक्रियता से संपूर्ण सन्यास लेकर अपने मूल चिंतन–मंथन अर्थात ज्ञान–यज्ञ के कार्य तक सीमित कर लिया। मुनि जी ने ज्ञान–यज्ञ के लिए ऋषिकेश को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान समझा और पिछले तीन माह से ऋषिकेश में निवास कर रहे हैं।

मुनि जी ने ज्ञान–यज्ञ तिरसठ वर्ष पूर्व सन् पचपन में रामानुजगंज में शुरू किया था। ज्ञान–यज्ञ क्यों, क्या, कैसे ? पर भी विस्तृत विवेचना आवश्यक है। मुनि जी के ही शब्दों में ''हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओं का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन से उत्पन्न समस्याएं विस्तार पा रही हैं। पूरी दुनियॉं में हिंसा के प्रति विश्वास बढ रहा है। पूरी दुनियॉं में शिक्षा तेज गति से बढ रही है और ज्ञान उतनी ही तेज गति से घट रहा है। पूरी दुनियॉं के दो प्रमुख देश अमेरिका और चीन या कोई अन्य किसी मामले में टकरा जायें तो उक्त टकराव को दुनियॉं के छः अरब लोग एक साथ मिलकर भी नहीं रोक सकते किन्तु दोनों के टकराव से प्रभावित सब हो सकते हैं। भावना और बुद्धि के बीच भी अंतर बढता जा रहा है। शरीफ लोगो की संख्या भी बढती जा रही है तो चालाक और धूर्त लोगों की संख्या भी बढ रही है। शरीफ और धूर्त के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है और समझदारी निरंतर घट रही है। हर धूर्त यह प्रयत्न कर रहा है कि अन्य लोग समझदार न होकर शरीफ बने अर्थात भावना प्रधान हो। विचार–प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है और विचार मंथन की प्रक्रिया लगातार घट रही है। विपरीत विचारो के लोग अलग–अलग गिरोहों मे बॅटकर संगठित हो रहे है तो विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठकर कभी समस्याओं की न तो चर्चा करते है न समाधान सोचते है। यहां तक कि पूरे विश्व में विपरीत विचारों के लोग एक–दूसरे के विरूद्ध बिना विचारे इतने सक्रिय हो जाते है कि उसका लाभ धूर्त उठाते है। हर कार्य मे आम नागरिकों की सक्रियता बढ़ती जा रही है भले ही वह एक–दूसरे के विरूद्ध ही क्यों न हो।

यदि हम भारत की समीक्षा करें तो भारत दुनियां की तुलना मे कुछ अधिक ही समस्याग्रस्त है। राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन मालिक और गुलाम सरीखा हो गया है क्योंकि राज्य समाज में निरंतर शरीफ और चालाक के बीच ध्रुवीकरण कराने का प्रयत्न कर रहा है। स्पष्ट है कि सभी शरीफ कर्तव्य प्रधान होते हैं तो चालाक अधिकार प्रधान। सभी शरीफ श्रद्धा को महत्वपूर्ण मानते हैं तो सभी चालाक तर्क को। सभी शरीफ त्याग से सुखी रहते हैं तो सभी चालाक संग्रह से। सभी चालाक लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि अन्य लोग अधिक से अधिक शरीफ बने रहें। यही कारण है कि सभी चालाक समाज को मतदान या धन–दान का महत्व बताते रहते हैं तथा स्वयं निरंतर संग्रह में सक्रिय रहते हैं। सब प्रकार के धूर्त व्यक्ति, राज्य के साथ निरंतर जुडने का प्रयास कर रहे है तो सभी शरीफ समाज के साथ इकठ्ठे हो रहे हैं। राज्य सुरक्षा और न्याय न देकर भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दे रहा है। सुरक्षा और न्याय की परिभाषाएं बदली जा रही है। मानवाधिकार के नाम पर अपराधियों को विशेष सुरक्षा दी जा रही है तो न्याय के नाम पर कमजोरों और मजबूतों के बीच टकराव बढाया जा रहा है। परिणामस्वरूप समाज के शरीफ लोगों द्वारा सुरक्षा और न्याय के लिये अपराधियों की मदद लेना मजबूरी बन गया है। राज्य पूरी शक्ति से वर्ग समन्वय को समाप्त करके वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित कर रहा है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र–लिंग, गरीब–अमीर, किसान–मजदूर, शहरी–ग्रामीण आदि के नाम पर समाज में अलग–अलग संगठन बनाकर उनमे वर्ग विद्वेष का कार्य योजना बद्ध तरीके से राज्य कर रहा है। शिक्षा और ज्ञान के बीच भी लगातार असंतुलन पैदा किया जा रहा है। शिक्षा को योग्यता का विस्तार न मानकर रोजगार के अवसर के रूप मे बदलने का लगातार प्रयास हो रहा है। परिणाम हो रहा है कि शिक्षा और श्रम के बीच असंतुलन बढता जा रहा है। पूरे भारत मे हिंसा के प्रति विश्वास बढता जा रहा है। अनेक असत्य धारणायें सत्य के समान स्थापित हो रही है। अच्छे–अच्छे विद्वान नहीं बता पाते है कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है, समाज, राष्ट्र और धर्म मे कौन अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा और ज्ञान मे क्या अंतर होता है, अपराध, गैर–कानूनी और अनैतिक मे क्या अंतर होता है, कार्यपालिका और विधायिका मे क्या अंतर है आदि आदि। स्पष्ट है कि समस्याएं दिख रही है और समाधान नहीं दिख रहा। समस्याओं का अंबार लगा है। समाधान कहॉं से शुरू करें यह समझ में नहीं आ रहा ।

इन सब परिस्थितियों का ऑकलन करके ही तिरसठ वर्ष पूर्व कुछ मित्रों के साथ रामानुजगंज शहर में ज्ञान–यज्ञ की शुरूआत की थी। रामानुजगंज मे तिरसठ वर्षो से प्रतिमाह की एक निश्चित तारीख को आधे घंटे की धार्मिक प्रक्रिया

से प्रारंभ करके दो घंटे की एक पूर्व निश्चित विषय पर चर्चा होती है जो अब तक सफलता पूर्वक जारी है। अब तक करीब तीन सौ अलग–अलग विषयों पर स्वतंत्र चर्चा हो चुकी है। चर्चा में अन्य नए विषय भी शामिल होते है। सोचा गया था कि एक शहर यदि समस्याओं के समाधान मे आगे बढकर आदर्श प्रस्तुत करेगा तो अपने आप देश पर उसका प्रभाव पडेगा । रामानुजगंज शहर मे इस प्रयत्न को अच्छी सफलता भी मिली किन्तु धीरे–धीरे वे सफलताएं रामानुजगंज से बाहर विस्तार नहीं कर सकीं क्योंकि बाहर के लोगों को शराफत से आगे निकालकर समझदारी की ओर ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि रामानुजगंज पर भी बाहर की हवाओं का प्रभाव धीरे–धीरे पडने लगा। बाहर के सभी शरीफ और धूर्त इकठ्ठे होकर रामानुजगंज की व्यवस्था के विरूद्ध सक्रिय हो गए। वहाँ भी साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के नाम पर संगठन बनने लगे। वहाँ भी राजनैतिक टकराव आंशिक रूप से पैर फैलाने लगा। कर्मचारियों और नागरिकों के बीच की एकता कमजोर होनें लगी। अब तो ऐसा भी दिख रहा है कि वहाँ धीरे–धीरे अपराधियों का भी प्रवेश शुरू हो जायेगा। चोरी–डकैती, गुंडागर्दी दादागिरी से अभी तक तो सुरक्षित है किन्तु जब सामाजिक एकता ही छिन्न–भिन्न हो जाएगी तो कब तक इन घटनाओं से शहर बचा रहेगा।

स्पष्ट है कि हम प्रयोग में सफल होकर भी असफल हुए, क्योंकि ऐसे वैचारिक प्रयोग किसी एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। इसलिए यह सोचा गया कि अब ज्ञान–यज्ञ का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएं। साथ ही हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न न करे। हम वर्ग विद्वेष में सक्रिय समूहों का विरोध न करके सामाजिक एकता की एक ओर अधिक बडी लकीर खीचने का प्रयास क्यों न करें। इसका अर्थ हुआ कि हम जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर बने संगठित समूहों का विरोध न करके एक संयुक्त समूह की ओर बढने का प्रयत्न करे जैसा कि रामानुजगंज में प्रारंभ में किया गया था। अर्थात ज्ञान–यज्ञ के नाम से सब प्रकार के लोग एक साथ बैठने की आदत डाले भले ही वे किसी भी संगठन के सदस्य क्यों न हों ?

ज्ञान–यज्ञ की विधि बहुत सरल है। पूरा कार्यक्रम यदि तीन घंटे का है तो आधे घण्टे यज्ञ यथवा किसी अन्य भावनात्मक धार्मिक कार्यक्रम से श्रद्धा पूर्वक शुरूआत करनी चाहिए। यह समय पूरे कार्यक्रम का एक/छः से अधिक न हो। दो घंटा किसी एक पूर्व निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन होना चाहिये जिसमें विपरीत विचारों के लोग अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कहने की हिम्मत कर सके और दूसरे लोग विपरीत विचारों को सुनने की अपनी सहन शक्ति जागृत कर सकें। अंतिम आधे घण्टे में स्वराज्य प्रार्थना तथा प्रसाद वितरण आदि का कार्य होता है। आयोजक अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक क्रिया के लिये स्वतंत्र है। चर्चा का विषय भी चुनने के लिये आयोजक स्वतंत्र हैं। किन्तु वक्ता की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं किया जा सकता भले ही वह किसी की भावनाओं के विरूद्ध ही क्यों न हों। ज्ञान–यज्ञ के बैनर तले कोई सामूहिक निष्कर्ष निकालना प्रतिबंधित है। सब लोग व्यक्तिगत निष्कर्ष निकालने को स्वतंत्र हैं। ज्ञान–यज्ञ के बैनर तले न कोई भी अन्य सक्रियता हो सकती है न ही योजना बन सकती है। अर्थात ज्ञान–यज्ञ परिवार का सदस्य व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य बैनर तले बाढ सहायता राष्ट्रीय संकट में मदद या भूखों को भोजन आदि सेवा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु ऐसे कार्य ज्ञान–यज्ञ के नाम से पूरी तरह प्रतिबंधित है। ज्ञान–यज्ञ की केवल एक ही सक्रियता है कि भिन्न–भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार मंथन कर सकें ताकि भावना और बुद्धि के बीच विवेक एवं शराफत और चालाकी के बीच समझदारी का विस्तार हो सके। दुनियाँ की और विशेषकर भारत की सभी समस्याओं का महत्वपूर्ण कारण है समाज के भावना प्रधान लोगों का बुद्धि प्रधान लोगों के अनुसार इस्तेमाल हो जाएं या शरीफ और चालाक के बीच भावना प्रधान लोगों का बुद्धि प्रधान लोगों के पक्ष में ध्रुवीकरण। यदि प्रत्येक व्यक्ति में शराफत और चालाकी की तुलना में समझदारी बढ जावे तो सभी समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं। इसीलिए ज्ञान–यज्ञ का एकमात्र नारा है सभी समस्याओं का समाधान, बढे समझदारी और ज्ञान। मैं समझता हूँ कि ज्ञान–यज्ञ परिवार वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष को रोकने का प्रयास छोडकर वर्ग मुक्त वर्ग खडा करने का जो भी प्रयास करेगा वह अपने आप स्वाभाविक रूप से समाधान होगा। समस्याओं का समाधान करने के लिए तो भारत में गली–गली में लोग मिल जायेंगे किन्तु ज्ञान–यज्ञ का प्रयास यह है कि समस्याओं की प्राकृतिक रूप से आघोषित तरीके से कम होने की प्रणाली विकसित की जायें। ज्ञान–यज्ञ एक ऐसी ही सफल प्रणाली है जिसमे ज्ञान–यज्ञ परिवार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो रहा है।

ज्ञान–यज्ञ परिवार में जुडने के लिये एक ही शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम वर्ष मे एक बार ज्ञान–यज्ञ में शामिल होने की प्रतिबद्धता स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम ज्ञान–यज्ञ परिवार का सदस्य मान रहे है। इस सदस्यता में कोई जाति, धर्म का भेद नहीं है। अपराध–निरपराध का भी भेद नहीं है। राष्ट्रीयता का भी भेद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान–यज्ञ परिवार का सदस्य बन सकता है। इस सदस्यता का न कोई शुल्क है न कोई अन्य प्रतिबद्धता।

मैं समझता हूँ कि विनोबा जी ने ऐसे कार्य को नाहक मिलन शब्द से स्थापित किया था। आर्य समाज भी निरंतर इस तरह का प्रयास करता रहा है भले ही अब वह विकृत होकर मंथन की जगह आर्य समाज के प्रचार में अधिक सक्रिय हो जायें। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ज्ञान–यज्ञ के माध्यम से हम समाज सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कदम बढा सकेंगे और समाज सशक्तिकरण अनेक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। मैं मुनि जी की बासठ वर्ष की सक्रियता तथा अनुभव के आधार पर मुनि जी आश्वस्त हैं कि भारत की सभी समस्याओं के समाधान की शुरूआत ज्ञान–यज्ञ कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से हो सकती है। जब भिन्न विचारो के लोग अपने–अपने संगठनो में

रहते हुए भी एक साथ बैठकर चर्चा करने की आदत डालेंगे तो परिणाम अवश्य ही अच्छे होंगे। जब सब लोग शराफत छोडकर समझदारी की दिशा में बढेंगे तो संभव है कि चालाक लोग भी या तो परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदलेंगे या बदलने पर मजबूर कर दिए जायेंगे। इसी आधार पर हम ज्ञान–यज्ञ परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पूर्वक विस्तार कर रहे है। कुछ लोग मानते है कि इसका कोई बडा लाभ नहीं होगा। हो सकता है ऐसा हो किन्तु मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रयत्न का कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग अन्य प्रयत्नों में लगे है उनके किसी प्रयत्न में ज्ञान–यज्ञ परिवार जरा भी बाधक नहीं है। वे अपने प्रयत्नों में सफल हो इससे हमें कोई कठिनाई नहीं। ज्ञान–यज्ञ परिवार नए तरीके से समाज सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है।''

स्पष्ट है कि वर्तमान में पूरे विश्व और खासकर भारत में जिस तरह नैतिक पतन बढ रहा है, हिंसा के प्रति विश्वास बढ रहा है, नई पीढी निरंतर चालाकी की दिशा में बढ रही है उसका समाधान न वर्तमान में दिख रहा है न ही भविष्य की कोई योजना स्पष्ट है। ऐसी आपातकालीन सामाजिक स्थिति में मुनि जी द्वारा प्रस्तावित ज्ञान–यज्ञ योजना एक समाधान के रूप में दिखती है और विश्वास होता है कि यदि अपने परिवार से लेकर विश्व तक ज्ञान–यज्ञ पद्धति से समझदारी और ज्ञान का विस्तार किया जाये तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम निश्चित प्राप्त होंगे।

मुनि जी ने तिरसठ वर्ष तक विश्व की तथा मुख्य रूप से भारत की संपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक आदि सब प्रकार की समस्याओं की वर्तमान स्थिति, कारण तथा समाधान की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की तथा कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र पर शोध की कोशिश की है जिनमें से कुछ विशेष महत्वपूर्ण निष्कर्ष ''ज्ञान तत्व 379'' में ''बजरंग मुनि विचार संकलन'' नाम से उल्लेख किये जा चुके हैं। फिर भी कुछ अन्य विचारों का संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख किया जा रहा हैः–

1. समाज को गुमराह करने का सबसे आसान तरीका है किसी विषय में संतुलित एवं प्रचलित परिभाषाओं को विकृत स्वरूप देना। साम्यवादियों ने इस प्रणाली का भरपूर उपयोग किया। इन्होंने बडी चतुराई से तानाशाही को लोकतंत्र प्रचारित किया और पूरी दुनियाँ को भ्रमित किया जो आज तक जारी है। पश्चिमी जगत ने भी अनेक परिभाषाओं को विकृत किया हैं।
2. पूरी दुनियाँ में वर्तमान समय में तीन समस्याऍ मुख्य हैंः– (क). निरंतर बढती भौतिक उन्नति और नैतिक पतन। (ख). हिंसा के प्रति बढता विश्वास। (ग). पूरी विश्व व्यवस्था का दो ध्रुवीय केन्द्रीयकरण।
   इस समस्या के सिर्फ दो समाधान हैंः– (1). विश्व संविधान। (2). ज्ञान–यज्ञ।
3. पूरी दुनियाँ में समस्याओं के बढने के आठ लक्षण हैः– 1. जब निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह प्रचार–प्रसार अधिक प्रभावकारी हो जाये। 2. संचालक और संचालित के बीच बढती दूरी। 3. राजनीति और समाज सेवा का व्यवसायीकरण। 4. भौतिक पहचान का संकट। 5. समाज का टूटकर वर्ग में बदलना। 6. निष्प्रभावी राज्य व्यवस्था। 7. मानव स्वभाव ताप वृद्धि। 8. मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि।
4. संपूर्ण भारत में समस्याऍ तीन प्रकार की हैंः– (1). राजनैतिक–संसदीय तानाशाही, समाज को अधिक से अधिक गुलाम बनाकर रखने की इच्छा, वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष विस्तार, राजनीति में परिवारवाद, राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति, सुरक्षा और न्याय को छोडकर जन कल्याण को प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नैतिक पतन। सभी राजनैतिक समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है सहभागी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य या शक्ति का अकेन्द्रीयकरण। (2). सामाजिक– छुआछूत, जातिय टकराव, साम्प्रदायिकता, भाषा टकराव, लिंग–भेद, उम्र–भेद। समाधान सिर्फ एक है समान नागरिक संहिता। (3). आर्थिक– गरीबी, मंहगाई, आर्थिक असमानता, पर्यावरण प्रदूषण, आयात–निर्यात असंतुलन, विदेशी कर्ज, गांव–शहर आबादी असंतुलन, श्रम शोषण। इन सबका सिर्फ एक समाधान है सब प्रकार के टैक्स हटाकर कृत्रिम उर्जा का मूल्य ढाई गुना कर देना।
5. भारत में वर्तमान समय में सिर्फ ग्यारह ऐसी समस्याऍ हैं जो स्वतंत्रता के बाद से लगातार बढ रही है तथा किसी भी राजनैतिक दल के पास किसी भी समस्या के समाधान की कोई योजना नहीं हैंः– (1). चोरी, डकैती, लूट। (2). बलात्कार। (3). मिलावट–कमतौल। (4). जालसाजी–धोखाधडी। (5). हिंसा बल प्रयोग आतंकवाद। (6). भ्रष्टाचार। (7). चरित्र–पतन। (8). साम्प्रदायिकता। (9). जातीय टकराव। (10). आर्थिक असमानता। (11). श्रम शोषण। बारहवीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। ग्यारह समस्याओं में एक से पांच तक राज्य की निष्क्रियता के परिणाम हैं तथा छः से ग्यारह तक कृत्रिम।
6. समाज सर्वोच्च है, राज्य रक्षक और धर्म सहायक। वर्तमान भारत में समाज को राज्य या धर्म से नीचे माना जाता है।
7. व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज द्वारा की जा रही सामाजिक व्यवस्था में सहायता के लिए बनाई गई मूर्त इकाई को राज्य कहते है।
8. संविधान की सफलता की एकमात्र कसौटी है उसका तंत्र पर नियंत्रण। तंत्र की सफलता की कसौटी है कानून पर बढता नागरिक विश्वास। कानून की सफलता की कसौटी है चरित्र निर्माण। भारत का वर्तमान संविधान पूरी तरह असफल हो चुका है। तंत्र ने संविधान पर नियंत्रण कर लिया है इसलिए जनता का कानून पर विश्वास घट रहा है। आम नागरिकों में चरित्र पतन बढ रहा है।
9. लोकतंत्र में लोक निर्मित संविधान तथा संविधान नियंत्रित तंत्र होता है। तंत्र की कोई भी इकाई संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। तंत्र के हस्तक्षेप से मुक्त लोक निर्मित व्यवस्था ही संविधान संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के लिये कोई भिन्न संविधान सभा होंनी चाहिये।

10. भारत नकल करने के लिये विख्यात है। भारतीय संविधान पूरी तरह विदेशों की नकल है। तंत्र को लोक का प्रबंधक होंना चाहिये। भारतीय संविधान उसे अभिरक्षक (कस्टोडियन) का स्वरूप देता है। अभिरक्षक के अधिकार की सीमा और अवधि भी घोषित नहीं। भविष्य में संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार भी तंत्र को ही दे दिये गए। यह संविधान निर्माताओं की भूल थी या धोखा यह विचारणीय है।
11. लोकतांत्रिक देश में समाज को अधिकतम अहिंसा और सत्य पर आचरण करना चाहिए तथा राज्य को समुचित कूटनीति और बलप्रयोग का। राज्य ने न्यूनतम हिंसा और अधिकतम पारदर्शिता का मार्ग पकडकर भूल की है। समाज में हिंसा के प्रति बढते विश्वास का यह मुख्य कारण है।
12. भारत में बेरोजगारी दूर करने का सबसे सरल समाधान है सारे टैक्स तथा सब्सीडी हटाकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार रूपया उर्जा सहायता दे दी जाएं और सारा खर्च कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से भरपाई की जाएं।
13. वर्तमान भारत में किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है तथा मजदूर ऐसा नहीं कर रहा है। छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचकर मजदूरी का काम करना ही समाधान है। जान भी बचेगी और देश को भी लाभ होगा। हमें किसान होने का अहंकार छोडना होगा।
14. भारत में आबादी विस्तार के कारण वन विस्तार, सिंचाई, कुआॅ, बाँध, नहर विस्तार, सुविधाजनक घर, सडक, रेल विस्तार उद्योग धंधो के विस्तार तथा कृषि विस्तार के लिये अतिरिक्त भूमि चाहिए जो असंभव है क्योंकि भूमि सीमित हैं। सबके बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
15. वर्तमान भारत में गरीबी रेखा का मापदंड प्रति व्यक्ति तीस रूपये है। अभी इसके नीचे रहने वालों की संख्या करीब दस करोड है। कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि करके प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सत्तर रूपया उर्जा सब्सीडी देकर एक दिन में ही गरीबी मुक्त भारत बनाया जा सकता है।
16. भारत में सत्तर वर्ष में लगातार उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुई हैं। महंगाई कम होने के कारण आम लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।
17. दुनियां में हजारों वर्षों में बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों ने सामूहिक षड्यंत्र करके श्रम शोषण के उपाय तैयार किये। भारत में भी हजारों वर्षों की सामाजिक व्यवस्था इसी षड्यंत्र के अंतर्गत चलती रही। साम्यवादियों ने इस विकृति के नाम पर इस श्रमशोषण नीति को अधिक विस्तार दिया है। अंबेडकर जी एक बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने जातीय आरक्षण के नाम पर सवर्ण बुद्धिजीवियों और अवर्ण बुद्धिजीवियों के बीच समझौता कराकर श्रमजीवियों के साथ एक नया धोखा किया। आज भी भारत का हर राजनेता श्रम शोषण के उद्देश्य से कुछ न कुछ सोचता रहता है।
18. शहरी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भारत की बड़ी समस्या है। आवागमन सस्ता करके ग्रामीण उद्योग धंधे बंद किये जा रहे हैं। बढ़ता मशीनीकरण शहरीकरण में प्रमुख सहायक है। कृत्रिम ऊर्जा, मूल्य वृद्धि अन्य आर्थिक समस्याओं के समाधान के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फिर से मजबूत कर देगी। शहरी आबादी विकेंद्रित होकर गांव की ओर जाने लगेगी।
19. समाज को धोखा देने के उद्देश्य से घाटे का बजट बनाकर उसकी भरपाई के लिए नोट छापे जाते हैं। नोट छापने से कोई लाभ या हानि नहीं है सिर्फ समाज को धोखा है। घाटे के बजट की पूर्ति सिर्फ टैक्स लगाकर करनी चाहिए।
20. शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। वह उचित रोजगार की प्रतीक्षा में रह कर अपने को बेरोजगार कहता है। श्रमजीवी की आय का एकमात्र आधार शारीरिक श्रम होता है जबकि शिक्षित व्यक्ति के पास शारीरिक श्रम के साथ–साथ शैक्षणिक योग्यता भी हुआ करती है।
21. पश्चिम के देश अपने एजेन्डे के अनुसार कुछ धन देकर भारत में बालश्रम, बंधुआ मजदूरी जैसे अनावश्यक मुद्दे उठाते रहते हैं। बालक हो या महिला सब परिवार के सदस्य हैं। इन्हें वर्ग में बांटना घातक है।
22. शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार के दायित्व नहीं होते। इन सबमें सरकार का हस्तक्षेप शून्य होकर न्याय और सुरक्षा तक सीमित हो जाना चाहिए।
23. शासकीय कर्मचारियों का आंदोलन किसी प्रकार नैतिक नहीं हो सकता है। भारत में राजनैतिक व्यवसाय करने वाले लोगों ने सारा सम्मान, सुविधा और शक्ति इन कर्मचारियों की सहायता से ही इकठ्ठी की है इसलिए उन्हें लूट के माल में हिस्सा चाहिए।
24. भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी लघु उत्पादक के विरुद्ध पूंजीपति, शहरी बुद्धिजीवी, बड़े उद्योगपतियों का सामूहिक एकाधिकार है।
25. दुनियाँ की प्रमुख चार संस्कृतियों में महत्वपूर्ण फर्क है। पाश्चात्य या इसाई संस्कृति व्यक्ति को, इस्लाम धर्म को, नास्तिक राज्य को तथा भारतीय संस्कृति समाज को सर्वोच्च मानती है। इन चारों की विस्तार नीति भिन्न है। विस्तार के लिए भारतीय संस्कृति विचार, इस्लाम संगठन शक्ति, पश्चिम धन तथा नास्तिक वर्ग संघर्ष को महत्व देते हैं। भारतीय संस्कृति स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच समन्वय, पश्चिम स्वतंत्रता, इस्लाम अनुशासन तथा नास्तिक शासन को महत्वपूर्ण मानता है। भारतीय संस्कृति में अकेले व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता तथा परिवार में जुड़ते ही संपूर्ण समर्पण का अद्भुत तालमेल है।
26. भारत की परिवार व्यवस्था आदर्श है। वर्तमान समय में कुछ विकृतियॉ इसे तोड़ रही हैं। परिस्थिति अनुसार सुधार होना चाहिए। परिवार व्यवस्था को प्राकृतिक के स्थान पर संगठनात्मक स्वरूप देना चाहिए। परंपरागत परिवार अब

नहीं चल ं सकती है और आधुनिक परिवार व्यवस्था विकृत है। इसलिए लोकतंत्रिक परिवार व्यवस्था ही उचित मार्ग है।

27. वर्ग विद्वेष के छः आधार धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, गरीब–अमीर, उत्पादक–उपभोक्ता, तो समाज तोडने तक सीमित रहे किंतु परिवार व्यवस्था अप्रभावित रही। उम्र और लिंग के आधार पर वर्ग निर्माण परिवार व्यवस्था को तोड़ने का सफल माध्यम है। महिला सशक्तिकरण के राजनैतिक प्रयत्न बहुत घातक हैं। महिला सशक्तिकरण के कानूनी प्रयासों का पूरी शक्ति के साथ विरोध होना चाहिए।
28. दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पुरुष प्रधान परिवार व्यवस्था, कन्या भ्रूण हत्या, बहुविवाह, देवदासी आदि की प्रथाएँ वर्तमान समय में समाप्त करने योग्य हैं किंतु ये प्रथाएं किसी समय में आवश्यकतानुसार सोचकर शुरू की गई भी हो सकती हैं। इन कुप्रथाओं को महिला अत्याचार से जोड़ना राजनैतिक षड्यंत्र है।
29. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विस्तार समाज का कार्य है। इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप घातक है। महिला सुरक्षा का नारा भी घातक है। व्यक्ति सुरक्षा, परिवार सशक्तिकरण, समाज सशक्तिकरण होना चाहिए।
30. समाज में बढ़ते बलात्कार का एकमात्र कारण सरकार के अनावश्यक कानून हैं। सरकार परिवार के पारिवारिक मामलों में कानूनी हस्तक्षेप बंद कर दे तो नब्बे प्रतिशत नकली या मजबूरी के बलात्कार की घटनाएं स्वतः बंद हो जायेगी। दस प्रतिशत वास्तविक बलात्कार शासन रोक लेगा।
31. काम इच्छा पूर्ति प्राकृतिक भूख है। इनकी महिला–पुरूष में समान मात्रा होती है कम ज्यादा नहीं। प्राचीन समय में अनैतिक इच्छापूर्ति पारिवारिक, सामाजिक अनुशासन तक सीमित थी। अधिकांश मामलों में परिवार या समाज मजबूरी को समझता भी था और मार्ग भी निकालता था। सरकारी हस्तक्षेप ने इस आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया। उच्च चरित्रवान नासमझों को विश्वास में लेकर धूर्त राजनेताओं ने इस प्राकृतिक भूख का ऐसा स्वरूप बना दिया कि संपूर्ण व्यवस्था ही छिन्न–भिन्न हो सकती है।
32. परिवार व्यवस्था एक तीन पैर की दौड़ है जिसमें महिला और पुरुष का एकाकार होना अनिवार्य है। परिवार से जुड़े महिला या पुरुष किसी वर्ग के रूप में नहीं हो सकते। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल संख्या एक–दो लाख से अधिक नहीं है जो किसी परिवार की सदस्य न हो।
33. व्यभिचार और बलात्कार बिल्कुल भिन्न विषय हैं। व्यभिचार अनैतिक होता है और बलात्कार अपराध। व्यभिचार को अनुशासित कर सकते हैं शासित नहीं। बलात्कार रोकने तक कानून को सीमित रहना चाहिए।
34. भ्रूण हत्या रोकने में बालक–बालिका का भेद घातक है। बालक भ्रूण हत्या स्वाभाविक रूप से नगण्य है तो यह भेद राजनैतिक षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं।
35. परिवार में पति–पत्नी के बीच पति का आक्रामक और महिला का आकर्षक होना प्राकृतिक मजबूरी है।
36. परंपरागत परिवारों की महिलाओं में घुटन और आधुनिक में टूटन अधिक पाई जाती है। परंपरागत महिलाएं संतानोत्पत्ति तथा आधुनिक महिलाएं सेक्स को अधिक महत्व देती हैं। सबको स्वेच्छा से निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
37. समाज के सुचारू संचालन में विवाह का भी महत्व है। विवाह कामेच्छा पूर्ति, सन्तानोत्पत्ति, बच्चों का संस्कार, सहजीवन की ट्रेनिंग तथा माता–पिता कर्ज मुक्ति का सामूहिक माध्यम है। विवाह में वर–वधू की स्वीकृति, परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति आदर्श स्थिति है। विवाह सामाजिक व्यवस्था है। इसमें कानून का हस्तक्षेप गलत है।
38. वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता अव्यवस्था के प्रमुख कारणों में से एक है। न्यायपालिका के प्रमुख लोग अपनी सीमाएं नहीं समझ रहे, अपराध गैर–कानूनी और अनैतिक का अंतर नहीं समझते और पुलिस को न्याय सहायक नहीं समझते। न्यायपालिका का कार्य व्यक्ति के मूल अधिकारों के विपरीत संविधान संशोधन, संविधान विरुद्ध कानून, कानून विरुद्ध सरकारी आदेश, आदेश विरुद्ध क्रिया को रोकने तक सीमित है। न्यायालय जनहित की व्याख्या नहीं कर सकता। न्यायालय को सामान्यतया न्यायिक निर्णय तक सीमित रहकर विधायी या कार्यपालिका आदेश से बचना चाहिए।
39. गांधी को भारत का नायक और अंबेडकर को खलनायक मानना चाहिए। हिंदू कोड बिल सरीखा समाज तोडक कानून अम्बेडकर की ही देन है। अम्बेडकर ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये गांधी सहित सबसे विवाद किया। अम्बेडकर ने बुद्धिजीवियों के पक्ष में श्रम के विरूद्ध व्यापक षडयंत्र किया। आज भी आदिवासी अवर्ण श्रमजीवी अम्बेडकर जी के षडयंत्र के शिकार हैं तथा उनकी कृपा के कारण ही सभी अवर्ण, आदिवासी, सवर्ण बुद्धिजीवी उनकी जय–जय कार करते हैं।
40. जे.एन.यू. संस्कृति भारत की बडी समस्या बन गई है। इस संस्कृति से प्रभावित लोग न्यायपालिका सहित हर जगह महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित हैं। साहित्य, कला, इतिहास, शिक्षा सहित सब जगह इनका एकाधिकार रहा है। अब धीरे–धीरे यह प्रभाव घट रहा है।
41. साम्यवाद दुनियाँ की सबसे अधिक खतरनाक विचारधारा तथा इस्लाम सर्वाधिक खतरनाक संगठन है। दोनों का गठजोड अधिक घातक है। साम्यवाद से मुक्ति तथा इस्लाम को संगठनवाद के विरूद्ध धार्मिक इस्लाम की दिशा में बढाना उचित मार्ग है।
42. भ्रष्टाचार अपराध नहीं होता सिर्फ गैर–कानूनी कार्य होता है। कानूनों की मात्रा ही भ्रष्टाचार की मात्रा होती है। निजीकरण तथा सत्ता का अकेन्द्रीयकरण भ्रष्टाचार की मात्रा को बहुत घटा सकता है।

43. अपराध सिर्फ एक है व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता में बाधा। अपराध के दो भाग हैं बल प्रयोग और धोखा। शोषण कभी अपराध नहीं होता क्योंकि शोषण में न बल प्रयोग है न धोखा। भारत में प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा समान अधिकार होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राज्य को किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं। किसी भी प्रकार का आरक्षण घातक परंपरा है।
44. दान और अमानत बिल्कुल अलग–अलग होते हैं। दिये हुये दान पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता जबकि अमानत पर दाता का पूरा अधिकार होता है। मतदाताओं द्वारा दिया गया वोट दान नहीं होता बल्कि अमानत होता है जिसे चालाक राजनेता मतदान समझ लेते है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से चुनाव लडने की स्वतंत्रता नहीं होती है बल्कि किसी के प्रस्ताव पर सहमति या असहमति देने की बाध्यता है।

मुनि जी वैचारिक धरातल पर समुद्र के समान हैं। उनके काफी मोती तो ''ज्ञान तत्व अंक तीन सौ उन्यासी'' में प्रकाशित हैं। कुछ चुनकर मैंने नमूने के रूप में आपके समक्ष रखें हैं। अन्य विचार भी निरंतर मिलते ही रहेंगे। मुनि जी ने देश भर के विद्वानों के साथ पंद्रह वर्ष तक विचार करके भारत का प्रस्तावित संविधान पुस्तक लिखी थी जो सन् निन्यान्नवें से आपको उपलब्ध है। मुनि जी निरंतर विचार मंथन में सक्रिय रहते हैं, अपने ही पुराने विचारों को संशोधित करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई संगठन नहीं चाहते बल्कि समाज एवं व्यवस्था के ढॉचे में संस्थागत स्वरूप के पक्षधर है। मुनि जी घोषित वानप्रस्थी व अघोषित सन्यासी के समान हैं। भोजन तथा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल साधारण है। उम्र के हिसाब से यात्रा कम करते हैं। बात भी कम करते हैं। सुनाई भी कम देता है फिर भी दिन–रात चिन्तन मंथन में सक्रिय रहते हैं।

मुनि जी की आर्थिक स्थिति शून्यवत है। न कोई एन.जी.ओ. बनाया न कभी कोई सरकारी सहायता ली और न ही कभी चन्दा इकठ्ठा किया। समाज के लोग बिना मांगे स्वेच्छा से जो आर्थिक सहायता करते हैं वह कार्यक्रम संचालन के लिए इतनी पर्याप्त होती है कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। मुनि जी को विश्वास है कि उनके भविष्य के सभी कार्यक्रम भी इसी तरह स्वैच्छिक सहायता से पूरे होते रहेंगे।

संस्थान चार दिशाओं में सक्रिय रहेगा (1) मुनि जी के प्रमुख विचारों में से कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी विचारों पर शोध। (2) मुनि जी के अतिरिक्त कुछ अन्य समाज उपयोगी विचारों पर शोध। (3) शोध–कर्ताओं का मार्गदर्शन तथा सहयोग। (4) ज्ञान–यज्ञ के विस्तार में सहायता।

शोध संस्थान किसी भी प्रकार के सेवा कार्य या राजनैतिक गतिविधि से दूर रहेगा। संस्थान कोई चंदा नहीं मांगेगा। स्वेच्छा से प्राप्त सहयोग राशि से ही संस्थान का खर्च चलेगा।

शोध संस्थान के निदेशक भारत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य पंकज हैं। ज्ञान–यज्ञ के प्रेरणा स्रोत व सामाजिक विषयों के प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि जी के विचारों से प्रभावित एवं तार्किक तालमेल रखते हुए मुनि जी के साथ कई प्रमुख विषयों के कार्यो में साथ रहे आचार्य पंकज जी का जन्म ग्राम–हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई 1947 में हुआ है। इनके पिता का नाम स्व0 पं0 कुलदीप शास्त्री राजवैद्य तथा स्व0 माता का नाम श्रीमति सरस्वती है। आचार्य जी की वर्तमान समय में आयु 71 वर्ष की है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से प्रारंभ कर आचार्य तक की शिक्षा अर्जित की।

हरहुआ के प्रसिद्ध किसान परिवार में जन्म लेकर बचपन से ही परिवार में व्याप्त छुआछूत गैरबराबरी जातिवादी दृष्टिकोण के विरूद्ध बालक आचार्य पंकज ने परिवार के विरूद्ध विद्रोह किया। इनका सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर था। कक्षा आठ उत्तीर्ण करने के बाद परिवार वालों ने कॉलेज में न भेजकर संस्कृत पाठशाला रामेश्वर वाराणसी में प्रवेश कराया। हरहुआ से रामेश्वर तक जिसकी दूरी छः किलोमीटर थी आचार्य पंकज पैदल जाकर अध्ययन करते थे तथा रामेश्वर से हरहुआ वापस घर आते थे। एक वर्ष बाद विद्यालय के प्रबंधक ने छात्रावास में ठहरकर अध्ययन करने का प्रवेश दिया। संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में आचार्य पंकज प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी रहे परंतु वहॉ भी रूढिवादी जाति घृणा के विरूद्ध आवाज उठाने के कारण छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया। तत्पश्चात आचार्य पंकज जी का प्रवेश मारवाडी संस्कृत कॉलेज मीरघाट वाराणसी में हुआ, जहॉ उन्होंने वेदों का गंभीर अध्ययन किया। दो वर्ष तक अध्ययन के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्रारंभ की। छात्रहित में संघर्ष करने के कारण छात्र–छात्राओं ने छात्र यूनियन का अध्यक्ष बनाया।

1966 में डॉ राम मनोहर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुये दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्नीस वर्ष की अवस्था में गिरफ्तार करके तिहाड जेल में बंद किया गया। दो महिने जेल में रहने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल डॉ आदित्यनाथ झॉ के हस्तक्षेप के कारण इन्हें दिल्ली की जेल से रिहा किया गया। दिल्ली से उस समय वाराणसी के लिए एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम अपर इंडिया था उसी से वे वाराणसी आ रहे थे। वाराणसी शहर से कुछ किलोमीटर पूर्व अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के शिवपुर हत्याकांड मे पुलिस ने आचार्य पंकज को 302 का मुल्जिम बना दिया और सेवापुरी स्टेशन पर गिरफ्तार कर वाराणसी जेल में बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चंद्रभान गुप्त ने आचार्य पंकज के गिरफ्तारी को संज्ञान में लिया और उन पर लगे 302 के मुकद्मे को वापस लेकर ससम्मान बरी

किया। फिर क्या था आचार्य पंकज वाराणसी के प्रसिद्ध आंदोलनकारी बन गये। ये बराबर किसी न किसी विषय पर आंदोलन करते रहे। जेल जाते रहे। जीवन में लगभग पैंतालीस बार की जेल यात्राएं इनके नाम दर्ज है। अध्ययन के साथ–साथ कविता लिखना, चिंतन सभाओं में भाषण, परिसंवाद, गोष्ठीयों में भागीदारी, शास्त्रार्थ सभाओं में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुये छात्र आंदोलनों में शामिल होकर नौजवानों में नई उर्जा प्रदान करते रहे। आचार्य पंकज बराबर निर्दलीय रहे। किसी राजनैतिक दल के सदस्य नहीं रहे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के कहने पर वाराणसी संसदीय सीट से सांसद का चुनाव लडे व प्रसन्नता पूर्वक पराजित हुये। आचार्य पंकज ने पुलिस मन ठीक करो का आंदोलन चलाया जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गया था तथा एक चर्चित आंदोलन था।

आंदोलन की लम्बी श्रृंखला इनके नाम दर्ज है। गोविन्दाचार्य, रामबहादुर राय के सौजन्य से तथा काफी वाद–विवाद के बाद प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि जी से इनका संपर्क हुआ। तबसे बजरंग मुनि जी के साथ रहकर उनके विचारों के साथ प्रभावित होकर देशभर में बजरंग मुनि के प्रति प्रतिबद्ध होकर उस आंदोलन को गति प्रदान कर रहे। इनके घर का नाम राम जी द्विवेदी पंकज था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने इनका नाम बदलकर आचार्य पंकज कर दिया था तब से आचार्य पंकज के नाम से चर्चित है।

आपातकाल में आचार्य पंकज के साथ जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी से अति घनिष्टता हो गई थी। राजनैतिक क्षेत्र में आचार्य पंकज की पहचान इस रूप में थी कि लोग इन्हे चंद्रशेखर वाले कहते थे। जनता पार्टी के बिखरने के बाद चंद्रशेखर ने भारत यात्रा का निर्णय किया। इस भारत यात्रा में आचार्य पंकज शामिल रहे। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली की छः महिने की पद यात्रा में आचार्य पंकज पद यात्रा के दौरान कविताएं लिखते रहे। आचार्य पंकज की कविताओं को गा गा कर लोग गति प्राप्त करते है। आचार्य पंकज तथा चंद्रशेखर जी का पद यात्रा में वाद–विवाद पदयात्रियों को काफी आकर्षित करता था। एक बार चंद्रशेखर जी ने आचार्य पंकज को खींझकर कहा कि आप पद यात्रा से चले जाये। आचार्य पंकज जी ने कहा में चला जाता हूँ और आचार्य पंकज एक किलोमीटर दूरी से अकेले अपनी पद यात्रा जारी रखे। चंद्रशेखर जी को लोगों ने बताया कि आचार्य पंकज अकेला पद यात्रा करते चले आ रहे है। तब चंद्रशेखर जी रास्ते में एक बगीचे पर बैठ गये कुछ देर बाद आचार्य पंकज पहुँचकर सडक में खडे रहे उनके पास नहीं गये तब चंद्रशेखर जी स्वयं उनके पास आये और पूछा कि आप क्यों चल रहे तब आचार्य जी ने कहा कि यह जनता की सडक है किसी के बाप की नहीं। जैसे आप चल रहे वैसे मैं चल रहा हूँ। चंद्रशेखर जी हॅसने लगे और बोले कि हे दुर्वाशा, पूर्व की तरह आप मेरे साथ ही पद यात्रा करेंगे। फिर यात्रा दिल्ली तक पूर्ण हुई। इस यात्रा से प्रभावित होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश विभाजन की मांग उठी और पूर्वांचल राज्य बनाओं की मांग लेकर आचार्य पंकज के नेतृत्व में वाराणसी से लेकर लखनउ तक की पंद्रह दिनों की यात्रा अपने साथियों के साथ की। उस समय लखनउ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरबहादुर सिंह तथा राज्यपाल को पूर्वांचल राज्य बनाओं का ज्ञापन सौपा। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की गरीबी से त्रस्त होकर आचार्य पंकज ने अलग पूर्वांचल राज्य बनाओं का आंदोलन चलाया।

कवि और साहित्यकार होने के नाते आचार्य पंकज ने वाराणसी में साहित्य की पद यात्रा आरंभ की। साहित्य जगत में यह पद यात्रा काफी चर्चित रही। जैसे धूमिल से प्रेमचंद, धूमिल से कबीर, धूमिल से रविदास, धूमिल से भारतेन्दू हरिशचंद्र यही कविताएं यात्रा के पूरे दिन में होती थी। यात्रा की दूरी पैंतीस से चालीस किलोमीटर होती थी। रास्ते में नुक्कड–नाटक, काव्य–पाठ वाद–विवाद का आयोजन तथा गंतव्य तक पहुँचने पर साहित्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ करता था जिसे आज भी लोग याद किया करते है। ''लेखन–चिंतन'' में आपके द्वारा रचित पुस्तक ''नींद हाराम काव्य संग्रह'', ''आगे बढो'', ''संस्कृत साहित्य'' प्रमुख संग्रह है। (लोकतंत्र सेनानी) की भूमिका में जे.पी आंदोलन में 19 माह तक जेल में नजरबंद रहे और इसके पश्चात राजनैतिक क्षेत्र में जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों में रहे जिसमें ''राष्ट्रीय महासचिव'' युवा जनता, जनता पार्टी भारत, का दायित्व निभाया। आचार्य पंकज जी ने छात्र जीवन में देश के विश्वविद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगितायों में भाग लेकर कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। 1978 ई0 में विश्व युवा समारोह लेटिन अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार ब्यूरो के संपादक व अन्य कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुये आपकी मुनि जी के साथ सामाजिक कार्य के प्रति सदैव रूचि बनी हुई है इसलिए आपने वर्तमान समय में ज्ञान–यज्ञ के संरक्षक व बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड के प्रमुख निदेशक के दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और निस्वार्थ भाव से सामाजिक व धार्मिक कार्यो में भूमिका निभाते रहते है।

आचार्य पंकज भावना प्रधान है स्वभाव से दयालु है। किसी को संकट में देखकर द्रवित हो जाते है। आचार्य जी को इतिहास, भूगोल, साहित्य भाषा, धर्म ग्रंथ, वेद–वेदान्त शास्त्र, उपनिषद् का विलक्षण ज्ञान है। मुनि जी स्वयं इन विषयों पर आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते है। आचार्य जी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है किसी भी घटना को लम्बे समय बाद भी ठीक उसी तरह दोहरा देने की अद्भुत क्षमता है। खान पान बिल्कुल सादा है कार्य की सक्रियता के समय अपनी

शारीरिक समस्याओं की परवाह नहीं करते। आचार्य जी के मन में कभी आर्थिक, पारिवारिक मोह नहीं दिखा। कभी उनमें मठाधीस बनने की लालशा नहीं दिखी। कभी उन्होंने धन संग्रह का कोई प्रयास नहीं किया। बौद्धिक दृष्टि से इतना सक्षम होते हुये भी आर्थिक दृष्टि से फकीरों का जीवन जीना आचार्य जी से सीखा जा सकता है।

शोध संस्थान वर्तमान समय में प्रत्येक रविवार को दस बजे से एक बजे तक ऋषिकेश में ज्ञान–यज्ञ का आयोजन करता है। इसमें प्रारंभ में आधे घंटे का यज्ञ होता है। जिस तरह ज्ञान–यज्ञ की सक्रियता तथा सीमाएं हैं उसी के अनुरूप कार्यक्रम सम्पन्न होता है। चर्चा का विषय प्रति सप्ताह बदलता रहता है। चर्चा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। भाषा और समय सीमा का ध्यान महत्वपूर्ण है।

संस्थान भाद्रपद शुक्लपक्ष की प्रथम तिथि से पूर्णिमा अर्थात तीस अगस्त से चौदह सितम्बर दो हजार उन्नीस तक ऋषिकेश में ''ज्ञानोत्सव–यज्ञ'' का आयोजन करेगा। यज्ञ में देश भर के सब प्रकार के लोगों को आमंत्रित तथा प्रवेश दिया जायेगा। यज्ञ का स्वरूप धार्मिक वैचारिक होगा। प्रतिदिन दो विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा मंथन तक सीमित होगी। प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यदि कोई प्रस्ताव पारित करना हो या योजना बनानी हो तो यज्ञ पूर्णाहुति के बाद पंद्रह सितम्बर को हो सकता है किन्तु पूर्णाहुति तक नहीं। सभी अठाइस विषयों पर इसी वर्ष एक नवंबर से यज्ञ प्रारंभ होने तक ज्ञान तत्व, फेसबुक, व्हाट्सएप्प के माध्यम से मंथन चलता रहेगा। पूरे भारत में इन ग्यारह महिनों में जहाँ–जहाँ ज्ञान–यज्ञ होंगे वहाँ इन अठाइस विषयों पर ही मंथन को प्राथमिकता दी जायेगी। आन्तरिक चर्चाओं को भी इन अठाइस विषयों तक केन्द्रित किया जायेगा। यदि कोई साथी किसी विषय पर कोई विचार लिखता है तो वह विचार भी ज्ञान तत्व, व्हाट्सएप्प, फेसबुक के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। प्रयत्न किया जायेगा कि विशेष यज्ञ के समय बहुत महत्वपूर्ण तथा गंभीर विचार मंथन हो।

अनुसंधान केन्द्र पूरा प्रयत्न करेगा कि विश्व में प्रचार माध्यमों की सहायता से स्थापित असत्य को एक सफल चुनौती दी जा सके। साथ ही भारत अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर दुनियाँ को विचार निर्यात में भी लम्बी छलांग लगा सके। इसी योजना के आधार पर यह केन्द्र प्रारंभ हुआ है। आप सबका सर्वांगीण सहयोग हमारी योजना की सफलता में सहायक होगा।

2019 'ज्ञानोत्सव–यज्ञ' की प्रस्तावित रूपरेखा

31.08.2019 से 14.09.2019 तक

1. प्रतिदिन नौ बजे प्रातः से दस बजे तक एक घंटे का वैदिक पद्धति से यज्ञ सम्पन्न होगा।
2. प्रतिदिन प्रातः दस बजे से रात आठ बजे तक विचार मंथन चलता रहेगा।
3. प्रतिदिन दो विषयों पर पांच–पांच घंटे का विचार मंथन होगा।
4. प्रतिदिन चर्चा के साथ–साथ नाश्ता, भोजन और विश्राम की स्वतंत्रता रहेगी।

1.	31.08.2019	प्रथम सत्र	ज्ञान यज्ञ क्यों, क्या और कैसे	द्वितीय सत्र	विश्व की समस्याएं और समाधान
2.	01.09.2019	प्रथम सत्र	आर्थिक समस्याएं एवं समाधान	द्वितीय सत्र	श्रमशोषण और मुक्ति
3.	02.09.2019	प्रथम सत्र	बेरोजगारी	द्वितीय सत्र	मंहगाई
4.	03.09.2019	प्रथम सत्र	भारत की प्रमुख समस्याएं और समाधान	द्वितीय सत्र	सरकार के दायित्व व कर्तव्य
5.	04.09.2019	प्रथम सत्र	लोकसंसद / ग्रामसंसद	द्वितीय सत्र	राइट टू रिकॉल
6.	05.09.2019	प्रथम सत्र	राष्ट्र, धर्म और समाज	द्वितीय सत्र	संस्था एवं संगठन में फर्क
7.	06.09.2019	प्रथम सत्र	धर्म और सम्प्रदाय	द्वितीय सत्र	इस्लाम और उसका भविष्य
8.	07.09.2019	प्रथम सत्र	संविधान की समीक्षा	द्वितीय सत्र	समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ
9.	08.09.2019	प्रथम सत्र	भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण	द्वितीय सत्र	अपराध और नियंत्रण
10.	09.09.2019	प्रथम सत्र	भारत विभाजन भूल या मजबूरी	द्वितीय सत्र	धर्म ग्रंथ समीक्षा वेद, कुरान, बाइबिल और आवेस्ता
11.	10.09.2019	प्रथम सत्र	संयुक्त परिवार प्रणाली	द्वितीय सत्र	व्यक्ति परिवार और समाज
12.	11.09.2019	प्रथम सत्र	धर्म और संस्कृति	द्वितीय सत्र	वैदिक संस्कृति और वर्तमान भारतीय संस्कृति
13.	12.09.2019	प्रथम सत्र	वर्ण व्यवस्था	द्वितीय सत्र	महिला सशक्तिकरण समस्या या समाधान
14.	13.09.2019	प्रथम सत्र	भौतिक उन्नति या नैतिक पतन	द्वितीय सत्र	वर्ग समन्वय अथवा वर्ग संघर्ष
15.	14.09.2019	प्रथम सत्र	आरक्षण कितना उचित कितना अनुचित	द्वितीय सत्र	बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान

उत्तरार्ध

लेखक का परिचय

जन्म 15 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1987 में आगरा विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री ली तथा 1988 में कानपुर से व्यवसाय प्रबंध में स्नाकोत्तर डिप्लोमा किया। समसामयिक विषयों पर छात्र जीवन से ही लिखने का शौक रहा जो कि बाद में 90 के दशक में अमर उजाला अलीगढ पत्रकारिता के माध्यम से आगे बढा। 2014 तक पत्रकारिता के विभिन्न संस्थानों में काम करने के पश्चात स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। स्वतंत्र पत्रकारिता के दौरान ही गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, डोकलाम भारत–चीन तनाव की समीक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। 2014 में श्री बजरंग मुनि जी के संपर्क में मैं आया और श्री बजरंग मुनि के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक विषयों में किए गए मौलिक चिंतन, अनुसंधान, एवं निष्कर्षो ने न केवल प्रभावित किया बल्कि इन विषयों पर उनके द्वारा दिए गए तर्को ने इस बात को सोचने के लिए विवश किया कि क्या समाज के प्रति जो दायित्व हमारा है उसको पूरा करने में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका निभा पा रहे है कि नहीं।

मुनि जी द्वारा व्यक्त किए गए मौलिक विचारों को समझने के लिए धैर्य एवं संयम के साथ–साथ खुले मन मस्तिष्क की आवश्यकता है। वर्तमान में आचार्य पंकज जी ने बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के लिए मुनि जी द्वारा विगत 63 वर्षो में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए विचारों को संग्रहित एवं वर्गीकृत करने तथा संस्थान के कुल सचिव की महती जिम्मेदारी सौंपी है ताकि भविष्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर शोध करने वाले शोधर्थियों को एक नई दिशा मिल सके। उम्मीद है कि मैं यह दायित्व पूरा कर पाउॅगा।

– नवीन कुमार शर्मा, नोएडा